

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

चतुर्थ तल, विकास भवन, जनपथ मार्केट, हजरतगंज, लखनऊ-226001

संख्या-3392/सी0ई0ओ0-1-142/1-2008 लखनऊ: दिनांक: 08 नवम्बर, 2022

सेवा में,

जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी,
मुजफ्फरनगर।

विषय:- विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 15-खतौली के उप निर्वाचन-2022-के दौरान लागू आदर्श चुनाव आचार संहिता-सांसदों/विधायकों की स्थानीय विकास निधि के अन्तर्गत निधियों की अवमुक्ति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर कृपया भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या-437/6/1/ECI/INST/FUNCT/MCC/2022 दिनांक-08.11.2022 जो 15-खतौली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का उप निर्वाचन-2022 की घोषणा के फलस्वरूप लागू आदर्श चुनाव आचार संहिता के परिप्रेक्ष्य में सांसदों/विधायकों के स्थानीय विकास निधि के अन्तर्गत निधियों की अवमुक्ति के संबंध में है, की छायाप्रति आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

कृपया आयोग के निर्देशों को समस्त संबधितों के संज्ञान में लाते हुए तदनुसूचित कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक यथोक्त।

भवदीय,

A. Kumar

(अजय कुमार शुक्ला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

संख्या:-3392(1)/सी0ई0ओ0-1-तददिनांक।

प्रतिलिपि उक्त संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 3- मण्डलायुक्त, सहारनपुर।
- 4- अनु सचिव, निर्वाचन अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5- गोपन अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन।
- 6- कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समस्त अधिकारी/अनुभाग/प्रकोष्ठ।
- 7- प्रभारी, कम्प्यूटर कक्ष को पीडीएफ हेतु।

A. Kumar

(अजय कुमार शुक्ला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

applicable in the area of concerned Constituency only. Similarly, no fresh release of funds under the MLAs'/MLCs' Local Area Development Fund shall be made, if any such scheme is in operation, till the completion of election process.

b) No work shall start, in respect of which, work orders may have been issued before the issue of this letter but the work has actually not started in the field. These works can start only after the completion of the election process. However, if a work has actually started, that can continue.

c) There shall be no bar to the release of payments for completed work(s) subject to the full satisfaction of the concerned officials.

d) Where schemes have been cleared and funds are provided or released and materials procured and reached the site such scheme may be executed as per programme.

Yours faithfully,



(SUMIT MUKHERJEE)
SR. PRINCIPAL SECRETARY